<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडौरना।</u>

सेशन केस नं०–330/2020

सरकार बनाम विजय शर्मा व अन्य।

तथा

सेशन केस नं०–458/2020

सरकार बनाम गुलाइची देवी उर्फ गौरा देवी।

<u>आरोप</u>

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्तगण विजय शर्मा, श्रीकिशुन शर्मा व गुलाइचा देवी उर्फ गौरा देवी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 23.05.2013 को वादिनी मुकदमा की पुत्री संगीता (मृतका) का विवाह विजय शर्मा से होने के पश्चात् आप अभियुक्तगण द्वारा मृतका संगीता पर दहेज की माँग को लेकर दबाव बनाया गया तथा उनसे 60 से 70 हजार रूपये लिये एवं अतिरिक्त 50 हजार रूपये की माँग की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि आप अभियुक्तगण मृतका संगीता को शादी में नगद रूपये कम मिलने का ताना देते थे तथा मृतका संगीता को उसकी हत्या से तीन माह पहले दहेज की माँग को लेकर मारे–पीटे थे। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 498A के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि दिनांक 04/05.02.2020 की रात को, वहद ग्राम–नरकटिया खुर्द, थाना–कसया, जिला–कुशीनगर में आप लोगों ने आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उक्त की पुत्री संगीता की दहेज की पूर्ति न होने के कारण हत्या कर दी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 304B के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने मृतका संगीता की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को जला दिया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा-201 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः08.01.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांकः08.01.2021

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडौरना।</u>

सेशन केस नं०–330/2020

सरकार बनाम विजय शर्मा व अन्य।

तथा

सेशन केस नं०–458/2020

सरकार बनाम गुलाइची देवी उर्फ गौरा देवी।

<u>08.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त विजय शर्मा जरिये हिरासत उपस्थित तथा अभियुक्तगण श्रीकिशुन शर्मा व गुलाइचा देवी उर्फ गौरा देवी मय अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–498A, 304B, 201 तथा 3/4 डी०पी० एक्ट का अपराध नहीं बनता है।

इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा तमामी विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है तथा आरोप विरिचत किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना तमामी साक्ष्यों का साक्ष्य संकलित करते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–498A, 304B, 201 तथा 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त विजय शर्मा जरिये हिरासत उपस्थित तथा अभियुक्तगण श्रीकिशुन शर्मा व गुलाइचा देवी उर्फ गौरा देवी मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–498A, 304B, 201 तथा 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22.01.2021 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I।
कुशीनगर स्थान पडरौना।